न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/545
मिसल नम्बर–65 / 2023

प्रेमचंद पुत्र स्व0 श्री रामनारायण जी जाति काछी निवासी बोरखेड़ा बस स्टेण्ड की गली, बोरखेड़ा कोटा

–वादी

बनाम

1.उमाशंकर पुत्र श्री प्रेमचंद जाति काछी
2.नीरज पुत्र श्री प्रेमचंद जाति काछी
3.विष्णु पुत्र श्री प्रेमचंद जाति काछी निवासीगण बोरखेड़ा बस स्टेण्ड की गली, बोरखेड़ा कोटा
4.राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थित–

1. श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक वादीगण
2. श्री विनायक साहू अभिभाषक प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी बोरखेड़ा कोटा का स्थायी निवासी है तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 वादी की संताने है। वादी की अपनी स्वयं की खाते की आराजी वाके ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया– 198, खसरा नम्बर– 103 की रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 104 / 2 की रकबा 0.51 हैक्टेयर कुल किता– 2 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर एवं ग्राम देवली अरब में ही खसरा नम्बर 100 रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नम्बर 101 की रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 की रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828 की रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर इस प्रकार उपरोक्त दोनो आराजी की कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर जिसका एक मात्र खातेदार वादी हैं। वादी उक्त आराजी का एक मात्र खातेदार कृषक हैं, तथा उसे उपयोग–उपभोग, रहन, बैय, हिब्बा आदि करने का अधिकार प्राप्त हैं, जिसका वह लगातार

उपखण्ड अधिकारी

उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण में प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी की उक्त आराजीयात् को हडपने के लिये तथा इसमें कुछ आराजीयात को हडपने के लिये झूठा दावा माननीय न्यायालय में पेश किया, तथा दौराने वाद प्रतिवादी क्रम– 1 ने वादी के नाम से फर्जी इकरार, मुख्तार, वसीयतनामा विरचित लिया। जिसकी जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी क्रम– 1 के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया तथा, माननीय न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर सम्पत्ति को बेचान अन्तरित नही करने हेतु आवेदन भी पेश किया, जिस पर न्यायालय ने दिनांक– 11.11.2022 को वादी के पक्ष में अन्तरिम आदेश जारी किया, वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 को अपनी सम्पत्ति से सूचना पत्र के माध्यम से पहले से ही बेदखल कर दिया था। प्रतिवादी कम– 1 के द्वारा उपरोक्त अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् अपने द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14.6.2023 को खारिज करवा दिया, किन्तु प्रतिवादीगण ने धमकियाँ दी है कि उपरोक्त वाद में वर्णित आराजी का विभाजन कर खुर्द–बूर्द कर तथा बेचान कर अन्तरित करेंगे, जिसकी संभावना बढ़ गई हैं, इस तरह की धमकियाँ प्रतिवादीगण के द्वारा दी जा रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि सम्पूर्ण आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा हैं, उसमें दखलअंदाजी नही करें। उपयोग– उपभोग में बाधा पैदा नही करें । उक्त कृषि भूमि व उसके किसी भी भाग की किस्म व स्वरूप को परिवर्तन नही करें, और ना ही उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि करें। इस कारण वादी के पास उक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नही है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की जावें कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करें, वादी को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, उक्त वादग्रस्त भूमि को बेचान व खुर्द–बुर्द नही करें। तथा फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर बेचान अन्तरित नही करें। उक्त कृषि भूमि या उसके किसी भाग की किस्म व स्वरूप को परिवर्तन नही करें, और ना ही उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय प्रतिवादीगण करें, और ना ही अपने प्रतिनिधि व एजेन्ट से करावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बाद तलबी वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया गया है कि वाद वर्णित आराजी का वादी खातेदार होने से उक्त सम्पति का उपयोग उपभोग का अधिकार रखता है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 द्वारा उक्त आराजी को हड़पने का कभी प्रयास नही किया है। प्रतिवादी क्रम 1 को कुछ लोगों ने बहका दिया था, जिस कारण बिना कोई अधिकार के उसने इकरारनामा–मुख्तारनामा आलेखित कर दिया था, जिस पर वादी द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने पर उसके पक्ष में दिनांक 11.11.2022 को अंतरिम आदेश पारित होना स्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा यह जानकारी आने के बाद, कानून की जानकारी आने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया था, जो खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 व 1 का वादी से अब कोई झगड़ा नही है, वादी विधिक रूप से खातेदार कृषक है, उसे संपत्ति अपने पिता से विभाजन में मिली है। संपूर्ण आराजीयात पर आज की तिथि में वादी ही काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण अब कोई दखलन्दाजी नही कर रहे है, नाही कोई निर्माण कर रहे है, नाही कोई परिवर्तन कर रहे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

है। वादी का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादीगण की ओर से एकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई। वादी की ओर से दौराने अपने वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। प्रतिवादीगण की ओर से बहस हेतु उपस्थित नही हुये। अतः बहस का अवसर बंद किया गया।

उपरोक्तानुसार विवेचन पश्चात पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार है। चूंकि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 की ओर से वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर है अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर किया जाता है एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 को पाबंद किया जाता है कि वे वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा कोटा खाता संख्या नया 198, खसरा नम्बर 103 की रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104/2 की रकबा 0.51 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 100 रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नम्बर 101 की रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 की रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828 की रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करें, वादी को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, उक्त वादग्रस्त भूमि को बेचान व खुर्द–बुर्द नही करें। तथा फर्जी मुख्तारनामा के आधार पर बेचान अन्तरित नही करें। उक्त कृषि भूमि या उसके किसी भाग की किस्म व स्वरूप को परिवर्तन नही करें, और ना ही उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय प्रतिवादीगण करें, और ना ही अपने प्रतिनिधि व एजेन्ट से करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 27/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा